सं0-700/xxviii-4-2005-56/2005

प्रेषक,

अमर सिंह,

उप सचिव,

उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी

चम्पावत ।

चिकित्सा अनुभाग-4 देहरादून: दिनांक : 04 जनवरी, 2005

विषय: राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय टांड, जनपद चम्पावत के भवन निर्माण की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-79/1/एस0ए0डी0/40/2004/22454 दिनांक 03.10.2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2005-06 में राजकीय ऐलोपैथिक चिकित्सालय टांड, जनपद चम्पावत के भवन निर्माण हेतु रू0 38,75,00,000.00(रू0 अड़तीस लाख पिचहत्तर हजार मात्र) की लागत पर प्रशासनिक/वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष में उक्त कार्य हेतु रू0 18,00,000.00(रू0 अठारह लाख मात्र) की धनराशि के व्यय की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

1 एकमुश्त प्राविधानो को कार्य से पूर्व विस्तृत प्रस्ताव बनाकर सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त की जायेगी ।

2- कार्य कराते समय लो0 नि0 विभाग के स्वीकृत विशिष्टियो के अनुरूप कार्य कराये तथा कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाये । कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण एजेन्सी का होगा ।

3- धनराशि तत्काल आहरित की जायेगी तथा तत्पश्चात निर्माण इकाई परियोजना प्रबन्धक, उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एंव निर्माण निगम को उपलब्ध करायी जायेगी स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में इसी वित्तीय वर्ष के भीतर सुनिश्चित किया जायेगा ।

4- स्वीकृत धनराशि के आहरण से संबंधित वाउचर संख्या एंव दिनांक की सूचना तत्काल उपलब्ध कराई जायेगी तथा धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित प्रावधानों में बजट मैनुअल तथा शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशो के अनुसार किया जाना सुनिश्चत किया जायेगा ।

5- आगणन में उल्लेखित दरों कर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों में जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से भी ली गयी हो, की स्वीकृत नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता को अनुमोदन आवश्यक होगा ।

6-कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन / मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय ।

7- कार्य पर उतना ही व्यय किया जायेगा जितना कि स्वीकृत मानक है । स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाय ।

8- एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

9- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एंव लोक निमार्ण विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें ।

10 कार्य करने से पूर्व स्थल का भली-भांति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा ले । निरीक्षण के पश्चात आवश्यकतानुसार निर्देशो तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जावें ।

11- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय । निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से परीक्षण करा ली जाय, उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए ।

A

12- स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या प्रत्येक दशा में माह की 07 तारीख तक निर्धारित प्रारूप पर प्रशासन को उपलब्ध करायी जायेगी । यह भी स्पष्ट किया जायेगा कि इस धनराशि से निर्माण का कौन सा अंश पूर्णतया निर्मित किया गया है ।

13- निर्माण के समय यदि किसी कारण वश यदि परिकल्पनाओं / विशिष्टियों में बदलाव आता है तो इस दशा में शासन की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी ।

14- निर्माण कार्य से पूर्व नींव के भू-भाग की गणना आवश्यक है, नींव के भू-भाग की गणना के आधार पर ही भवन निर्माण किया जाय ।

15- उक्त भवनों के कार्यों को शीघ्र प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाए ताकि लागत पुनरीक्षित करने की आवश्यकता न पड़े ।

16- उक्त व्यय वर्ष 2005-06 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या -12 के लेखाशीर्षक 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 02- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें, 110-अस्पताल तथा औषधालय-आयोजनागत, 91- जिला योजना, 9101- राजकीय ऐलोपैथिक चिकित्सालय के भवनों का निर्माण, 24-बृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा तथा संलग्न प्रपत्र बी0एम0-15 के कालम 01 की मदों से वहन किया जायेगा ।

17- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0-110/वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/2005 दिनांक 30.12.2005 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(अतर सिंह)
उप सचिव

सं0 700(1)/XXVIII-4-2005-56/2005 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उत्तरांचल, भाजरा देहरादून ।
2- निदेशक, कोषागार, उत्तरांचल ,देहरादून।
3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, चम्पावत ।
4- आयुक्त गढ़वाल / कुमाऊँ मण्डल, उत्तरांचल ।
5- जिलाधिकारी, चम्पावत ।
6- महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण उत्तरांचल ,देहरादून ।
7- परियोजना प्रबन्धक, उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एंव निर्माण निगम ।
8- निजी सचिव मा0 मुख्य मुख्यमंत्री ।
9- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/ नियोजन विभाग / एन0आई0सी ।
10- बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून ।
11- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
उप सचिव

04010600

(वित्तीय वर्ष 2005-06)

प्रशासनिक विभाग चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

नियम - 158 अनुबन्ध संख्या-12

पुनर्विनियोजन का आवेदक पत्र (हजार रुपये में)

बी0एम0-15

नियंत्रक अधिकारी : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तरांचल देहरादून ।

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण (मानक मद)	मानक मद्वार अध्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में	अवशेष (सरप्लस) धनराशि	लेखाशीर्षक जिनमें धनराशि को स्थानान्तरित किया जाना है (मानक मद)	पुर्न-विनियोजन के बाद के स्तम्भ-5 की कुल धनराशि	पुर्न-विनियोजन के बाद अवशेष धनराशि (4-5)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय -आयोजनागत				4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-अआयोजनागत			राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों का भवन निर्माण योजना के अन्तर्गत प्राक्कलित धनराशि कम पड़ने के कारण अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है उपकेन्द्रों का भवन निर्माण योजना के अन्तर्गत आवश्यकता से अधिक प्राक्कलन होने के कारण धनराशि की बचत है ।
02-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें				02-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें			
101-स्वास्थ्य उप-केन्द्र				110-अस्पताल तथा औषधालय			
91- जिला योजना				91-जिला योजना			
9101-उपकेन्द्रो के भवनों का निर्माण (जिला योजना)				01-राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों के भवनों का निर्माण			
24-वृहत निर्माण कार्य-30000	17186	-	12814	24-वृहत निर्माण कार्य-1800	13032	11014	
योग- 30000	17186	-	12814	1800	13032	11014	

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पुर्नविनियोजन में बजट मैनुअल के परिच्छेद 150,151,155,156 में अंतर्वलित प्रतिबन्धों एवं सीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है ।

(अतर सिंह)
उप सचिव

NIC
(138)

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग
संख्या-110/ वित्त(व्यय नियंत्रण) अनु0-3/2005
देहरादून: दिनांक: 30, दिसम्बर, 2005

पुर्नविनियोजन स्वीकृत

एल0एम0पन्त
अपर सचिव

सेवा में

महालेखाकार,
उत्तरांचल(लेखा एवं हकदारी)
ओबरॉय बिल्डिंग,
माजरा सहारनपुर रोड, देहरादून ।

सं0-700(1)/XXVIII-4-2005-56/2005 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, कोषगार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल ।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल ।
3. वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
4. गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
उप सचिव